श्रीमान वकील कुलदीप उप0। एवम वकील करौली का मनन लिया गया पत्रावली में प्रस्तुत शपथ विलेख व दीवानी का अवलोकन किया गया। मामला में महाराजपत्र वादग्रस्त भूमि को अपने पिता निगाहदीन के नाम की बताती होकर व निगाहदीन के गैरमजरूआ हाल एवम 1/6 हिस्सा भूमि का पंजीयन कराया लेख एवं भूमि का वादिगण का 1/6 हिस्सा होना स्पष्ट है। मामला हाल पंजीयन को साल दिवस तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। मामला भूमि के खातेदारी काश्तकार शपथ विलेख से पूर्व नहीं है भूमि गैरमजरूआ के खातेदारी में दर्ज है जिससे मामला का फैसला एकतरफा नहीं होता है। मामला के हक में कोई पुख्ता का मजबूत व अपूर्वारीक साक्ष्य प्रकट नहीं होती है। गैरमजरूआ खातेदारी काश्तकारी को मालगुजारी विधेयक के पार्ट दिया गया प्रतिबंध लागू नहीं होता है। अतः प्रकरण मामला विलेख गैरमजरूआ खातेदारी किया गया है। फरीकान को मुकम्मल सुनवाई होकर नजर में रख होकर मुकदमा खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:30:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)